भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4925
(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

अकुशल ग्रामीण युवा

4925. श्री ईश्वरस्वामी के:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पुरुष और महिलाओं सहित अकुशल ग्रामीण युवाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ख) ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए उपलब्ध योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इस अवधि के दौरान पुरुष और महिलाओं सहित ग्रामीण युवाओं की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें कौशल प्रदान किया गया और रोजगार दिया गया?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): देश में पुरूषों और महिलाओं सहित अकुशल ग्रामीण युवाओं और उनकी कुल संख्या का विवरण नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग): यह मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित दो योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

i. **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई):** डीडीयू-जीकेवाई 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए नियोजन से संबंधित कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करके सशक्त बनाता है और नियमित श्रम बाजारों में उनकी सहभागीता में मदद करता है , इस प्रकार उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से अधिक वाले रोजगार प्रदान करता है।

ii. **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) :** आरएसईटीआई एक बैंक प्रायोजित और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रशिक्षण संस्थान है जिसे उनके जिलों में प्रायोजित बैंक द्वारा स्थापित किया जाता है और इनके माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल एवं उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय आरएसईटीआई भवनों के निर्माण के

लिए वित्तीय सहायता देता है और ग्रामीण गरीब अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण का खर्च भी उठाता है। 18 से 45 वर्ष के आयु समूह के बेरोजगार युवाओं जिनमें स्वरोजगार स्थापित करने या मजदूरी रोजगार की अभिक्षमता हैं, वे आरएसईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

पिछले 3 वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

वर्षवार आवंटित निधि		
वित्तीय वर्ष	**डीडीयू-जीकेवाई**	**आरएसईटीआई**
2021-22	2189.11	9219.54
2022-23	9405.05	25000.00
2023-24	38371.58	23215.50
2024-25 के लिए बजट अनुमान (फरवरी 2025 तक)	50000.00	25000.00

स्रोत: ग्रामीण कौशल प्रभाग के रिकॉर्ड के अनुसार

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई दोनों के तहत प्रशिक्षित और नियोजित ग्रामीण युवा और महिला अभ्यर्थी की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	डीडीयू-जीकेवाई				आरएसईटीआई			
	प्रशिक्षित पुरुष	नियोजित पुरुष	प्रशिक्षित महिला	नियोजित महिला	प्रशिक्षित पुरुष	नियोजित पुरुष	प्रशिक्षित महिला	नियोजित महिला
2021-22	38,563	19,572	58,443	26,040	56,600	43,657	2,57,107	2,12,400
2022-23	98,252	65,974	1,33,910	92,156	77,272	52,455	3,31,898	2,72,977
2023-24	77,340	63,008	1,22,359	95,088	90,960	59,607	3,60,318	2,90,392
2024-25 (फरवरी'25 तक)	31,164	24,700	54,289	40,791	1,07,283	63,381	4,63,593	3,22,886

*****